223

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. भगवानदास पिता रामप्रसाद पटैल
2. फूलचंद पिता रामप्रसाद पटैल
3. सीताराम पिता रामप्रसाद पटैल
4. नरेन्द्र कुमार पिता रामप्रसाद पटैल
5. भुवानी शंकर पिता रामप्रसाद पटैल

साकिन पिपरिया तह. व जिला सागर

....आवेदकगण

//विरूद्ध//

1. राजाराम पिता कनई
2. जमनाप्रसाद पिता कनई
3. महेश पिता कनई
4. सुरेश पिता कनई
5. दमोदर पिता कनई
6. अमन पिता कोमल
7. राकेश पिता कोमल
8. सुमन पिता कोमल
9. नत्थीबाई पिता कनई
10. मुन्नी पिता कनई
11. दुर्गा पिता कनई
12. बिला पिता कनई
13. हीराबाई पिता कनई
14. यशोदाबाई उर्फ फूलरानी बेवा कनई
15. नर्मदा प्रसाद पिता सुन्दरलाल
16. तुलसीराम पिता सुन्दरलाल
17. संतोष पिता सुन्दरलाल
18. पार्वती पिता सुन्दरलाल
19. लीलाबाई पिता सुन्दरलाल
20. मिन्दाबाई पिता सुन्दरलाल
21. बृजरानी बेवा सुन्दरलाल

सभी निवासी पंतनगर वार्ड तह. व जिला सागर

.........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमाँक 656/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दि. 13–04–2016 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम कनेरा स्थित भूमि खसरा नंबर 63, 64/1 रकवा कमशः 3.039, 5.748 हे0, प0ह0नं0 63 तहसील व जिला सागर आवेदकगण एवं मृतक कनई, सुन्दरलाल एवं अन्य खातेदारों के नाम से राजस्व अभिलेख में शामिल शरीक दर्ज था। खसरा में आवेदकगणों का नाम उल्लेखित होने के उपरांत भी उन्हें आवश्यक पक्षकार की हैसियत से पक्षकार बनाये बिना उनके कयशुदा भूमि को भी सम्मलित करते हुए फौती नामांतरण की कार्यवाही किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रहीं है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.1733/पी/16 ...... जिला ..सागर...........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-5-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क सुने। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार जिला सागर के प्र. क्र. 173 /अ/6/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 29/02/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। न्यायहित में समयसीमा माफ करते हुए प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। 2— आवेदक अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सागर द्वारा ग्राम कनेरादेव की भूमि खसरा नंबर 63 एवं 64/1 के खातेदार कनई एवं सुन्दरलाल का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारसानों के नाम फौती दर्ज करने का आदेश पारित किया हैं जिसमें सुन्दरलाल की मृत्यु वर्ष 1965 में होना एवं कनई की मृत्यु वर्ष 2015 में होने का उल्लेख किया गया है। आवेदकगण की ओर से खसरा की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें उनका का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज पाया जाता है तथा आवेदकगणों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों की छायाप्रति प्रस्तुत की हैं जिनके अवलोकन से यह विदित होता है कि मृतक खातेदार कनई एवं मठोले द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदकगणों को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर भूमि का अंतरण किया गया है तथा उनके नाम नामांतरण भी किया जा चुका है। इस कारण आवश्यक पक्षकार एवं हितधारी होने के उपरांत भी उन्हें पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना सम्पूर्ण भूमि का नामांतरण वारसान हक में किया जाना वैद्य नहीं पाता हूँ। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सागर द्वारा पारित दिनांक 29/02/2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदकगण एवं अनावेकदगणों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः निराकरण करे। आदेश की प्रति तहसीलदार सागर को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[क्र. प. उ.